विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस) का त्वरित विकास

समानता सशक्तिकरण और विकास (सीड) विज्ञान प्रभाग की जनजातीय उप योजना स्कीम (टीएसपी) के तहत परियोजना प्रस्ताव आह्वान

भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विषय सूची

क्र. सं.	मद/विवरण	पृष्ठ सं.
1.	**प्रस्ताव आह्वान**	3-10
2.	**परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश**	11-19
3.	**परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का संरूप**	20-42

प्रस्ताव आह्वान

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के समानता सशक्तिकरण और विकास (सीड) प्रभाग विज्ञान अनुसंधान, विकास को बढ़ावा देने, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकियों (विज्ञान आधारित समाधानों के वितरण सहित) को अपनाने, हस्तांतरण और प्रसार करने के माध्यम से अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों को सशक्त बनाने के व्यापक जनादेश के साथ जनजातीय उप योजना (टीएसपी) योजना लागू कर रहा है। । इस योजना के तहत परियोजनाओं का उद्देश्य **आजीविका प्रणाली दक्षता** में सुधार करना और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के माध्यम से **सामाजिक कल्याण प्रणाली को मजबूत** करना है। ये परियोजनाएं ज्ञान संस्थानों के **क्षेत्र और आउटरीच क्षमताओं** में सुधार के अलावा **गैर सरकारी संगठनों के ज्ञान और क्षमता निर्माण** की सुविधा भी प्रदान करती हैं।

यद्यपि कई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि भी **पीवीटीजी के समग्र और त्वरित विकास के लिए आजीविका केंद्रिक कार्यरीति** की आवश्यकता है। इसलिए केवल **75 पीवीटीजी पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रस्तावों के लिए विशेष आह्वान** का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी के व्यापक विकास और सतत आजीविका के निर्माण के लिए विज्ञान आधारित समाधान और विकास और स्थान विशिष्ट उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का परिनियोजन करना है। यह विशेष आह्वान भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में है। आह्वान के तहत पहचाने गए व्यापक क्षेत्र इस प्रकार हैं।

(1) आजीविका में सबसे कमजोर लिंकेज (अंतराल) के आधार पर केंद्रित एसटीआई उत्पाद विकसित करने के लिए पीवीटीजी की प्रमुख आजीविका प्रणालियों का प्रतिचित्रण
(2) सतत आजीविका निर्माण के लिए स्थान विशिष्ट उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और एसटीआई उत्पाद का विकास और परिनियोजन
(3) अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए पीवीटीजी के पारंपरिक कौशल और स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण और वृद्धि
(4) बहुआयामी गरीबी (स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता) को प्रभावित करने वाले कारकों पर समाधानकारी प्रयत्न करना और

(5) पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक लचीलेपन के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रासंगिक एसटीआई उत्पाद में क्षमता निर्माण।

निम्नलिखित क्षेत्रों में केवल पीवीटीजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

(क) प्रमुख आजीविका प्रणालियों का प्रतिचित्रण और पीवीटीजी की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आवश्यकताएं

(ख) आजीविका प्रणाली को मजबूत करने और आजीविका के कायाकल्प के लिए उच्च प्रौद्योगिकियों के निषेचन के माध्यम से पारंपरिक कौशल और स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन (उदाहरण: सांप पकड़ने और जहर निकालने में इरुला, डायरी और बागवानी में टोडा, रस्सी बनाने में मनकीडिया, शहद एकत्रण में कट्टनैकेंस, लकड़ी के बर्तन शिल्प में राजिस, धातु के काम में कोटा, आदि)।

(ग) पीवीटीजी में उच्च प्रसार रोगों से संबंधित विशेष अध्ययन और एसटीआई उपाय (उदाहरण: लोढ़ा, साओरा, खड़िया, जुआंगा, और मनकीडिया, मलेरिया में वायरल हेपेटाइटिस; सहरियाओं में तपेदिक, आदि) और अन्य वेक्टर जनित रोग

(घ) एनटीएफपी संग्रह, संलवनोतर प्रक्रमण, कृषि-जैव विविधता, कुटीर उद्योग, वृक्षारोपण फसलों, मत्सयन, पशुपालन आदि के कार्यों में पीवीटीजी के लिए आजीविका युक्तियों के विकास के लिए एसटीआई उत्पाद/सेवा।

(*ङ.*) *अभिनव समुदाय-आधारित उपगमन और तकनीकी विकल्पों के आधार पर वैकल्पिक आजीविका (जहां वर्तमान व्यवसाय घट रहा है) संवर्धन*

(च) स्वास्थ्य और पोषण में, जो पीवीटीजी की आबादी में गिरावट में योगदान देता है, सुधार से संबंधित एसटीआई उत्पाद/सेवा (विशेषकर बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसवपूर्व देखभाल)

(छ) पीवीटीजी के कौशल में सुधार (विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण के लिए पीवीटीजी की प्रबल उपस्थिति वाले क्षेत्रों में फैबलैब की अवधारणा विषयक प्रयोगशालाओं की स्थापना)

(ज) जीवन की गुणवत्ता (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास आदि) जैसे एमडीपी में योगदान देने वाले कारकों पर ध्यान देकर कार्रवाई करने के लिए एसटीआई उत्पाद/सेवा

(झ) स्थानीय नवोन्मेष और स्थानीय ज्ञान तंत्र पर उद्यमिता विकास निर्माण

पीवीटीजी पर संक्षिप्त नोट, विभिन्न राज्यों में पीवीटीजी जनसंख्या की रैंकिंग (2001 ***की जनगणना) और पीवीटीजी की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार सूची अनुबंध-*** I ***में दी गई है।***

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजीएस)

जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% भूभाग में विभिन्न पारिस्थितिक और भू-जलवायु परिस्थितियों में मैदानों से लेकर जंगलों, पहाड़ियों और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। उनमें संस्कृतियों की विस्तृत विविधता, स्व-शासन की प्रणालियाँ और आजीविका प्रणालियाँ समाहित हैं और उन्हें संविधान की अनुसूची V और VI द्वारा विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। जहां कुछ जनजातीय समुदायों ने स्पेक्ट्रम के एक छोर पर जीवन की मुख्य धारा को अपनाया है, वहीं दूसरे छोर पर आदिवासी समूह हैं, जिनकी विशेषता है (क) वन-आधारित आजीविका, (ख) जीवन के कृषि-पूर्व स्तर (ग) स्थिर और घटती जनसंख्या (घ) अत्यंत कम साक्षरता और (ड़.) एक निर्वाह अर्थव्यवस्था। ऐसे आदिवासी समूहों की संख्या **75 है जो 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं**। उन्हें **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों** (पीवीटीजी) के रूप में पहचाना और वर्गीकृत किया गया है, उन्हें पहले आदिम जनजातीय समूहों के रूप में जाना जाता था।

2001 की जनगणना के अनुसार, 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की कुल जनसंख्या 27, 68, 322 है और वे दूरस्थ और बिखरे हुए भौगोलिक स्थानों में रहते हैं। विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के संदर्भ में पीवीटीजी की रैंकिंग तालिका 1 में दी गई है।

तालिका *1.* विभिन्न राज्यों में पीवीटीजी जनसंख्या की रैंकिंग (*2001* की जनगणना)

क्र. सं.	**राज्य**	पीवीटीजी की संख्या	जनसंख्या ***2001*** की जनगणना	*जनसंख्यावार रैंकिंग*
1.	छत्तीसगढ़ + मध्य प्रदेश	08	7,85,720	1
2.	महाराष्ट्र	03	4,08,668	2
3.	झारखंड	09	3,87,358	3
4.	आंध्र प्रदेश	12	3,34,144	4
5.	तमिलनाडु	06	2,17,937	5
6.	त्रिपुरा	01	1,65,103	6
7.	गुजरात	05	1,06,775	7
8.	पश्चिम बंगाल	03	85,983	8
9.	राजस्थान	01	76,237	9
10.	ओडिशा	13	68,745	10

11.	उत्तराखंड	02	47,288	11
12.	कर्नाटक	02	45,899	12
13.	केरल	05	20,186	13
14.	बिहार	09	10,873	14
15.	उत्तर प्रदेश	02	5,365	15
16.	मणिपुर	01	1,225	16
17.	अंडमान निकोबार	05	816	17

पांच राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, पीवीटीजी अपनी कुल जनसंख्या के 77% से अधिक है। यहॉ 75 पीवीटीजी में से 38 का निवास है। तालिका 2 में 1000 से कम आबादी वाले 19 पीवीटीजी की सूची दी गई है।

तालिका ***2. 1000*** से कम जनसंख्या वाले पीवीटीजी (***2001*** की जनगणना)

क्र. सं.	**पीवीटीजी का नाम**	**जनसंख्या**
1.	बिरजिया (बिहार)	17
2.	सेंटिनलेट्स (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	39
3.	ग्रेट अंडमानी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	43
4.	औंज (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	96
5.	बिरहोर (मध्य प्रदेश)	143
6.	असुर (बिहार)	181
7.	मनकीडियास (ओडिशा)	205
8.	जारवा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	240
9.	चोलनायकेन (केरल)	326
10.	शोम्पेन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)	398
11.	बिरहोर (बिहार)	406
12.	सावर (बिहार)	420
13.	राजी (उत्तराखंड)	517
14.	सौरिया फारिया (बिहार)	585
15.	बिरहोर (ओडिशा)	702
16.	कोरवा (बिहार)	703
17.	टोडास (तमिलनाडु)	875
18.	कोटा (तमिलनाडु)	925

19.	राजी (उत्तर प्रदेश)	998
कुल		***7,819***

दूसरी ओर, 50,000 से अधिक लेकिन एक लाख से कम आबादी वाले 4 पीवीजीटी हैं (तालिका 3)

तालिका *3. 50,000* से अधिक जनसंख्या वाले पीवीटीजी (*2001* की जनगणना)

क्र. सं.	**पीवीटीजी का नाम**	**जनसंख्या**
1.	कोंडा रेड्डीस (अविभाजित आंध्र प्रदेश)	83,096
2.	डोंगरिया खोंड (अविभाजित आंध्र प्रदेश)	85,324
3.	सहरिया (राजस्थान)	76,237
4.	लोढ़ा (पश्चिम बंगाल)	84,966
कुल		***3,29,623***

8 पीवीजीटी ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, जैसा कि तालिका 4 में नीचे दिया गया है।

तालिका *4.* एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले पीवीटीजी (*2001* की जनगणना)

क्र. सं.	**पीवीटीजी का नाम**	**जनसंख्या**
1.	सहरिया (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़)	4,50,217
2.	बैगास (मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़)	3,32,936
3.	कातकरिया/कथोडी (महाराष्ट्र)	2,35,022
4.	कोलम (महाराष्ट्र)	1,73,646
5.	रियांग (त्रिपुरा)	1,65,103
6.	हिल खारिया (झारखंड)	1,64,022
7.	तमिलनाडु में इरुल्लास	1,55,606
8.	मल पहाड़िया (झारखंड)	1,15,093
कुल		***17,91,645***

75 पीवीटीजी में से प्रत्येक समूह संख्या में छोटा है, वर्तमान में एक दूसरे से भिन्न है और खराब व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की अवस्था के साथ दूरस्थ ठिकाने में रहता है। पीवीटीजी अपने ऐसे पारंपरिक आवासों और आजीविका संसाधनों के नुकसान के कारण तेजी से कमजोर होते जा रहे हैं, जिनसे वे अपने अमान्य अधिकार से भी प्रतिपालित होते थे। इससे

भूख/भुखमरी, कुपोषण और खराब स्वास्थ्य और पारंपरिक व्यवसाय का क्षरण हो रहा है जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। उनमें से कुछ विलुप्त होने के कगार पर भी हैं। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शोम्पेंस, जारवा, सेंटिनलीज ओडिशा के बोंदोस, केरल के चोलानैकन, छत्तीसगढ़ के अबूजमारिया; झारखंड के बिरहोर शामिल हैं। पीवीटीजी को आवश्यकता है कि उनकी दुर्बल रहन-सहन की स्थिति और प्रचलित सामाजिक आर्थिक अरक्षितता और घटती संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए प्राथमिकता पर विशेष और अविभाजित ध्यान दिया जाए । पीवीटीजी की राज्यवार सूची तालिका 5 में दी गई है।

तालिका *5.* विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**पीवीटीजी का नाम**
1.	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	चेंचू
2.		गदाबा
3.		गदाबा
4.		कोंधों
5.		कुटिया कोंध
6.		कोलाम
7.		कोंडारेडिस
8.		सावरस
9.		बोंडो पोरोजा
10.		पोरजा
11.		परंगीपरजा
12.		थोटी
13.	बिहार (झारखंड सहित)	असुर
14.		बिरहोर
15.		बिरजिया
16.		हिल खारिया
17.		कोरवा
18.		मल पहाड़िया
19.		परहैया
20.		सौरिया पहाड़िया
21.		सावर
22.	गुजरात	कोल्हा
23.		कथोडी

24.		कोतवाली
25.		पधार।
26.		सिद्दी
27.	कर्नाटक	जेनु कुरुबा
28.		कोरागा
29.	केरल	चोलनिक्कन
30.		कादर
31.		कट्टुयानकान
32.		कोरागा
33.		कुरुम्बास
34.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अबूझ मारियास
35.		बैगा
36.		भारिया।
37.		बिरहोर
38.		हिल कोरबास
39.		कमर।
40.		सहरिया
41.	महाराष्ट्र	कातकरी
42.		कोलाम
43.		मारिया गोंड
44.	मणिपुर	मारम
45.	ओडिशा	चुकतिया भुंजिया
46.		बिरहोर
47.		बोंडो
48.		दीदायी
49.		डोंगरिया खोंड
50.		जुआंग
51.		खारिया
52.		कुटिया कांधा
53.		लांजिया सोरा
54.		लोंधा
55.		मनकिर्डिया
56.		पौड़ी भुइयां
57.		सौरा

58.	राजस्थान	सेहरिया
59.	तमिल नाडु	इरुलर
60.		कट्टुनायकन
61.		कोटा
62.		कुरुम्बास
63.		पनियान
64.		टोडा
65.	त्रिपुरा	रियांग
66.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	बक्सा
67.		राजी
68.	पश्चिम बंगाल	बिरहोर
69.		लोढ़ा
70.		तोता
71.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	महान अंडमानी
72.		जरावास
73.		ओंजेस
74.		सैंटेनलीज
75.		शोम्पेन्स

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुति दिशानिर्देश

<u>पात्रता शर्तें</u>

परियोजना प्रस्तावों का लक्ष्य केवल पीवीटीजी को लाभान्वित कर रहे **एसटीआई उत्पाद/सेवा** होना चाहिए। **परियोजना के कुल लाभार्थियों में से 100% पीवीटीजी समुदाय का होना चाहिए**। सीड प्रभाग की जनजातीय उपयोजना स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संगठन/संस्थान पात्र हैं:

(क) सरकारी शैक्षणिक संस्थान (केंद्र और राज्य सरकार), सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकाय, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं आदि।
(ख) निजी शैक्षणिक संस्थान यूजीसी / एआईसीटीई / एमसीआई / डीसीआई / पीसीआई आदि द्वारा मान्यता प्राप्त या विनियमित (विश्वविद्यालय/ कॉलेज / संस्थान और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज) - को गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) माना जाएगा और वह प्रस्ताव के ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के दौरान 'एनजीओ / वीओ' विकल्प का उपयोग करेंगा।
(ग) कानूनी स्थिति वाले या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 या धर्मार्थ या धार्मिक अधिनियम 1920 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट या संबंधित राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत एस एंड टी आधारित स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ)। साथ ही, यह

- सोसायटी/ट्रस्ट इत्यादि के रूप में पंजीकरण के बाद कम से कम तीन वर्ष तक अस्तित्व में रहा हो ।
- प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार, प्रदाय और प्रबंधन में क्षेत्र स्तर का अनुभव रखता हो।
- भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं में काम करने का अनुभवी हो।
- संगठन को किसी केंद्र या राज्य सरकार के विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।

इसके अलावा, निजी शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को भी डीएसटी ई-पीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना चाहिए ।

- वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र/ ट्रस्ट डीड, संगम ज्ञापन, सोसाइटी के नियम और उपनियम की प्रति ।
- पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए संगठन के लेखाओं और वार्षिक गतिविधि रिपोर्टों का लेखा परीक्षित विवरण ।

- एनजीओ दर्पण पोर्टल में संगठन की यूनिक आईडी

डीएसटी के अन्य प्रभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता के मानदंडों के अनुसार अन्य संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। परियोजना प्रस् तावों की जांच/प्रक्रमण ऐसी संस् थाओं से परियोजनाओं की सहायता कर रहे संबंधित प्रभागों द्वारा निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार वित् तीय सहमति की दृष्टि से किया जाएगा।

<u>परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना</u>

प्रधान अन्वेषक आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिए गए संरूप में www.onlinedst.gov.in पोर्टल पर डीएसटी की इलेक्ट्रॉनिक परियोजना प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएमएस) के माध्यम से ही परियोजना प्रस्ताव **ऑनलाइन** प्रस्तुत करें। **किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव (हार्ड कॉपी या ई-मेल के माध्यम से) सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।** जांचकर्ता कृपया ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित नोट कर सकते हैं।

1. "डीएसटी ई-पीएमएस पोर्टल" के होमपेज तक पहुंचने के लिए onlinedst.gov.in ब्राउज़ करें, पंजीकरण करें, लॉग इन करें और पीवीटीजी के त्वरित विकास लिंक के तहत निर्धारित प्रारूप में परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
2. फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिशानिर्देशों, नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
3. अपना समय बचाने और डेटा लोप से बचने के लिए कृपया उपयुक्त प्रस्ताव संरूप डाउनलोड करें और संरूप के अनुसार आवश्यक सभी जानकारी को वर्ड और पीडीएफ फाइल के रूप में भरें और फिर अनिवार्य दस्तावेजों को जमा करने के दौरान अपलोड करने के लिए तैयार रखें।
4. "प्रस्ताव सबमिट करें" लिंक पर क्लिक करें जो आपको एक से अधिक जानकारी मांगने वाले पृष्ठ पर ले जाएगा - सामान्य जानकारी, प्रमुख अन्वेषक का विवरण आदि। प्रत्येक मेनू के लिए मांगी गई सभी अनिवार्य जानकारी को भरना सुनिश्चित करें।
5. उपरोक्त सभी विवरण भरने के बाद "पूर्वावलोकन" बटन पर क्लिक करने पर आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले अपने विवरण का पूर्वावलोकन करने का प्रावधान है। पूर्वावलोकन पृष्ठ आपके द्वारा उल्लिखित सभी विवरण प्रदर्शित करेगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
7. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव / मान्य नहीं होगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त टीपीएन नंबर को भविष्य के संदर्भ के लिए नोट किया जा सकता है।

8. हितों के टकराव के संलग्न दस्तावेज़ (अनुबंध-VI) पर भी हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

9. किसी संस्थान/संगठन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

10. परियोजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास एससीएसपी और टीएसपी योजनाओं के तहत 2 से अधिक चालू परियोजनाएं नहीं होनी चाहिए। बाद की परियोजना (तीसरी) परियोजना पर विचार करने के लिए, पहले समर्थित (चल रही) दो परियोजनाएँ कार्यान्वयन के मध्यावधि स्तर पर होनी चाहिए।

11. सभी श्रेणी के लोग प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अन्वेषक आवश्यक रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं हो सकते हैं।

12. **ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 15/01/2023 है जिसके बाद किसी भी उपयोग के लिए वेब-लिंक स्वतः अक्षम हो जाएगा।**

नोट: कृपया नियत तारीख से पहले ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। टी-पिन का सृजन प्रस्ताव को ऑनलाइन सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करता है।

<u>मूल्यांकन के लिए मानदंड</u>

ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों का सामान्यतया निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि, इन मानदंडों में से प्रत्येक का महत्व लाभार्थियों के लिए अनुमानित आउटपुट, परिणाम, प्रभाव और महत्व के आधार पर अलग-अलग होगा।

(i) कार्यक्रम के आह्वान और अधिदेश के साथ प्रासंगिकता

(ii) कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ प्रस्ताव की प्रासंगिकता

(iii) प्रस्तावित हस्तक्षेपों की मांग या आवश्यकता

(iv) प्रस्तावित हस्तक्षेपों की नवीनता, व्यवहार्यता और वैज्ञानिक योग्यता

(v) मौजूदा विकल्पों पर प्रस्तावित हस्तक्षेपों में सुधार (नवीनता)

(vi) आजीविका प्रणाली विश्लेषण के आधार पर समस्या की स्पष्ट परिभाषा/पहचान

(vii) लक्षित जनसंख्या के लाभों के लिए कार्यप्रणाली और अपेक्षित आउटपुट और परिणामों की स्पष्ट अभिव्यक्ति।

(viii) सहयोगियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निरूपण।

(ix) प्रस्तावित हस्तक्षेपों की तकनीकी, सामाजिक और आथक व्यवहार्यता।

(x) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परियोजना दल/संस्थान की विश्वसनीयता, ट्रैक रिकार्ड और प्रतिबद्धता।

विशेषज्ञ समिति (ईसी) की सिफारिशों पर डीएसटी परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले किसी अन्य मानदंड को लागू कर सकता है। विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

ऑनलाइन प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञ समिति के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों को अंतिम चयन और समर्थन के लिए विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा। परियोजनाओं के चयन के संबंध में विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम है और आगे किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।

<u>अन्य सामान्य जानकारी</u>

1. प्रस्ताव विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनपुट / प्रक्रियाओं के माध्यम से पीवीटीजी के त्वरित विकास के उद्देश्य से होना चाहिए
2. प्रस्ताव पहचान की गई समस्या के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित होने चाहिए, जिसे उचित अवधि में दूर किया जा सके, जो तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम अवधि वाले प्रस्तावों को अनुकूल माना जाएगा।
3. जहां तक संभव हो, प्रस्तावित हस्तक्षेप (i) लक्षित आबादी की आजीविका प्रणालियों/सामाजिक-आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने और (ii) विचाराधीन लाभाथयों के त्वरित विकास के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने पर आधारित होना चाहिए।
4. प्रस्तावित हस्तक्षेपों में विभिन्न संगठनों/समूहों द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों और पहले से मौजूद एसटीआई समाधानों पर विचार किया जाना चाहिए।
5. परियोजना प्रस्ताव को महत्वपूर्ण अंतर क्षेत्रों के मिलान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां आपके समूह की विशेषज्ञता आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकती है।
6. प्रधान अन्वेषक और सह-अन्वेषक के पास हस्तक्षेप के प्रस्तावित क्षेत्र में परियोजना को लागू करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञता और प्रासंगिक योग्यता होनी चाहिए।
7. ज्ञान संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय शासन संस्थानों के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।
8. बहुआयामी गरीबी (एमडीपी) के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले हस्तक्षेप परियोजना के घटक हो सकते हैं।
9. **प्रत्यक्ष कल्याण गतिविधियों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।**
10. **सहायता के लिए केवल (**i) **कल्याण प्रणाली की दक्षता में सुधार और (**ii) **विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के माध्यम से आजीविका प्रणाली दक्षता में सुधार के उद्देश्य से हस्तक्षेप पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।**
11. **मुख्य मंत्रालयों/विभागों की गतिविधियों, केवीके की विस्तार गतिविधियों, एनआरएलएम/एसआरएलएम के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के साथ क्रॉसकटिंग प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।**

12. परियोजना में यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह लक्षित आबादी को कैसे लाभान्वित करेगी।
13. डीएसटी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार उपकरणों की खरीद और छोटे बुनियादी ढांचे (सामान्य सुविधा केंद्रों सहित) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
14. परियोजना में पीवीटीजी की सीधी भागीदारी के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/हस्तक्षेप प्रभावी ढंग से किया जा सके।
15. हस्तक्षेपों का उद्देश्य लक्ष्य समुदायों की अल्पकालिक/तत्काल आवश्यकता के अलावा उनकी भौतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में मध्य और दीर्घावधि में सुधार करना होना चाहिए।
16. परियोजना को पर्यावरणीय क्षरण या पारिस्थितिक असंतुलन की ओर नहीं ले जाना चाहिए।
17. परियोजना गतिविधियों को स्व-रोजगार/अतिरिक्त राजस्व सृजन की ओर उन्मुख होना चाहिए और वर्तमान नौकरी/आजीविका को विस्थापित नहीं करना चाहिए।
18. विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
19. परियोजना को लाभार्थियों के बीच एसएंडटी अवशोषण क्षमता निर्माण, ज्ञान सुधार और नवाचार क्षमताओं के लिए रणनीति विकसित करनी चाहिए।
20. **कृपया अनुलग्नकों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र ही जमा करें। कॉल दस्तावेज़ और दिशानिर्देश सबमिट/अपलोड न करें।**

अनुदान जारी करने के लिए दिशानिर्देश

1. ईसी द्वारा वित्तीय सहायता के लिए अनुशंसित परियोजनाओं को डीएसटी के एकीकृत वित्तीय प्रभाग (आईएफडी) की वित्तीय सहमति के लिए रखा जाएगा। परियोजना की स्वीकृति के संबंध में डीएसटी का निर्णय अंतिम होगा।
2. जनशक्ति, उपभोग्य सामग्रियों, यात्रा, प्रशिक्षण/प्रदर्शनों, फील्ड परीक्षण/परीक्षण, बुनियादी ढांचे/उपकरण, निर्माण लागत, आकस्मिकताओं, ओवरहेड्स, विशेषज्ञों द्वारा निगरानी/मूल्यांकन आदि के लिए लागत को मौजूदा मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार सहायित किया जाएगा।
3. जनशक्ति के लिए पारिश्रमिक डीएसटी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समय-समय पर कार्यक्रम प्रभाग (पीडी) द्वारा जारी किए गए किसी अन्य विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार मंजूर किया जाएगा।
4. 12 महीने से अधिक की परियोजना अवधि के मामले में, परियोजना के पहले वर्ष के लिए पूरी स्वीकृत राशि (सामान्य और पूंजी दोनों) जारी की जाएगी।

5. 12 माह से कम अवधि की परियोजनाओं के लिए, आवर्ती लागत का 80% और अनावर्ती लागत का 100% कार्यक्रम प्रभाग द्वारा जारी करने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।

अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए दिशानिर्देश

1. परियोजना में जारी संपूर्ण अनुदान को अनिवार्य रूप से ब्याज वाले सरकारी बैंक खाते में रखा जाना है और वित्तीय वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज को कार्यक्रम प्रभाग को रसीद प्रस्तुत करने के साथ bharatkosh.gov.in में जमा किया जाना है।
2. परियोजना के अंतर्गत व्यय करते समय और लेखापरीक्षित लेखा (उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण आदि) प्रस्तुत करते समय मौजूदा जीएफआर नियमों का पालन किया जाना है।
3. जहां तक संभव हो, उपकरण सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से खरीदे जाने चाहिए।
4. यदि उपकरण जीईएम में उपलब्ध नहीं है या निर्मित किया जाना है, तो अन्य स्रोतों / विक्रेताओं के माध्यम से खरीद के लिए डीएसटी से पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए।
5. परियोजना में कोई भी व्यय केवल पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से या समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना है।
6. परियोजना के लिए अनुदान की बाद में जारी की जाने वाली राशि ईसी समीक्षा बैठकों और/या परियोजना स्थल के दौरे में परियोजना की संतोषजनक प्रगति और परियोजना के लिए प्रगति रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को समय पर प्रस्तुत करने के अधीन है।
7. बाद की किस्तों को जारी करना आम तौर पर आवर्ती अनुदान के 50-80% और उस वर्ष विशेष के लिए स्वीकृत गैर-आवर्ती अनुदान के 100% तक सीमित होगा, जो पिछले वर्ष में किए गए व्यय पर निर्भर करेगा।
8. अंतिम किस्त परियोजना के पूरा होने, परियोजना के आउटपुट/परिणामों की समीक्षा और ईसी/पीएसी द्वारा परियोजना समाप्ति रिपोर्ट के अनुमोदन और संस्थान द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही जारी की जाएगी।
9. प्रधान अन्वेषक (पीआई)/मेजबान संस्थान (एचआई) जीएफआर 2017 में निहित सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
10. प्रधान अन्वेषक (पीआई)/मेजबान संस्थान (एचआई) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद और किसी भी मामले में, जीएफआर-2017 के नियम-242 (2) के तहत वित्तीय वर्ष के समापन के छह महीने से कम समय के भीतर प्रदर्शन सह उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

11. जीएफआर के अन्य प्रावधान भी परियोजना/एचआई/पीआई पर लागू होंगे, जिसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य परिवर्तन/संशोधन/नए नियम/दिशानिर्देश शामिल हैं।
12. अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन को नियम 238 (6) के अनुसार जीएफआर में निर्धारित मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार संसद में वार्षिक रिपोर्ट ेे रखना सुनिश्चित करना चाहिए।
13. गैर सरकारी संगठनों के खातों को कैग द्वारा ऑडिट या डीएसटी द्वारा कार्यक्रम की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए खुला रखा जाएगा।
14. परियोजना में खरीदे गए उपकरण/अवसंरचना को परियोजना के पूरा होने के बाद लाभार्थियों को सौंप दिया जाना चाहिए।
15. यदि परियोजना में खरीदे गए किसी भी उपकरण / बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की आवश्यकता है, तो प्रधान अन्वेषक (पीआई)/मेजबान संस्थान (एचआई) ने डीएसटी को एक अनुरोध प्रस्तुत किया है ।
16. परियोजना के निष्पादन के लिए निधियां प्राप्त करने वाली संस्थाएं/संगठन परियोजना के निष्पादन के लिए वित्तीय और कानूनी प्रशासनिक जिम्मेदारी लेंगे।
17. संगठनों को सीड प्रभाग, डीएसटी की विभिन्न योजनाओं में कई परियोजनाओं को एक साथ शुरू करने/प्रस्तुत करने से हतोत्साहित किया जाता है।
18. एजेंसी/संगठन और पीआई/सीओ-आई/प्रोजेक्ट स्टाफ के बीच किसी भी कानूनी विवाद के मामले में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/संगठन जिम्मेदार होगा। विवादों के ऐसे कानूनी मामलों के लिए डीएसटी उत्तरदायी नहीं होगा।
19. बहु-संस्थागत परियोजना के मामले में, प्रधान अन्वेषक (पीआई) को सहयोगी संस्थानों /वैज्ञानिकों से औपचारिक समझौता प्रस्तुत करना होगा।
20. नियमित प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वेक्षण पर परियोजना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाता है। कंप्यूटर प्रशिक्षण (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर), मोबाइल रिपेयरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी और टेलरिंग से संबंधित कौशल विकास परियोजनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्मिन-कम्पोस्टिंग, मशरूम की खेती, एपिकल्चर, एक्वाकल्चर, अचार/जैम बनाने आदि के लिए अच्छी तरह से मानकीकृत तकनीकों और पैकेजों पर हस्तक्षेप और प्रशिक्षण वाले परियोजना प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी पैकेजों की प्रतिकृति, जो मानकीकृत और उपलब्ध हैं, आगे समर्थित नहीं हैं। आजीविका में सुधार/सृजन के लिए एसटीआई क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण परियोजना के घटकों में से एक हो सकता है, लेकिन परियोजना प्रस्ताव पूरी तरह से प्रशिक्षण पर नहीं होना चाहिए।

संपर्क व्यक्ति

सुश्री रजनी रावत, वैज्ञानिक 'सी'
समानता सशक्तिकरण और विकास प्रभाग
कमरा नंबर 219, नया ब्लॉक - I, प्रौद्योगिकी भवन
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016
ई-मेल: rajni@nic.in, फोन: 011-29512324: एक्सटेंशन: 12093

डॉ. कोंगा गोपीकृष्णा, वैज्ञानिक 'एफ'
समानता सशक्तिकरण और विकास प्रभाग
कमरा नंबर 105, नया ब्लॉक - I, प्रौद्योगिकी भवन
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016
ई-मेल: k.gopikrishna@nic.in, फोन: 011-26590298

ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 15/01/2023 है

कार्य/क्षेत्र उन्मुख परियोजनाओं के लिए सलाह

(1) निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके, क्षेत्रों के साथ-साथ लोगों के प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर परियोजना क्षेत्र और परियोजना स्थल की पहचान करें:

- अवसंरचनात्मक सुविधाओं का न्यूनतम स्तर विशेष रूप से सड़कें, बिजली और सिंचाई की क्षमता।
- पंचायत या सहकारी या स्वैच्छिक समूहों जैसे स्थानीय संगठनों की उपस्थिति।
- उनकी सामाजिक संरचना के संदर्भ में समरूप गांवों की कुछ संख्याएं बेहतर हैं।
- क्षेत्र में संबंधित अधिकारी के साथ परामर्श वांछनीय है।

(2) गाँव में सामान्य संसाधनों की पहचान करें और जिस तरह से लोग उनका उपयोग करते हैं या उनका उपयोग करने की परिकल्पना करते हैं और इन संसाधनों पर ग्राम समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले पर्यवेक्षी कार्य के प्रकार की पहचान करें। यदि उपलब्ध हो, तो संसाधन मानचित्रण के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा या अन्य प्रासंगिक उपकरण / पीआरए का उपयोग करें।

(3) अन्य पहल और कार्यक्रम

- परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे नियमित विकास कार्यक्रमों, इसमें शामिल एजेंसियों और कवर किए गए लाभार्थियों में से किसी की पहचान करना। सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों द्वारा संचालित इन योजनाओं के लिए निधियों के स्त्रोतों की पहचान की जाए ताकि जहां संभव हो, उनके प्रयासों को प्रायोगिक परियोजनाओं में एकीकृत किया जा सके।
- चालू कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन कीजिए।

(4) परियोजना स्थलों पर चिन्हित लोगों के साथ लगातार अनौपचारिक दौरों के माध्यम से तालमेल बनाना, सभी वर्गों के लोगों के साथ बैठक करना, ग्राम सभा बैठकों के आयोजन में नेताओं के साथ चर्चा करना।

(5) स्थानीय पंचायत/संगठन को शामिल करें-

- लाभार्थियों की पहचान
- लाभार्थियों के परामर्श से प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की आवश्यकता और योजनाओं की पहचान करना
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्थानीय पर्यवेक्षण प्रदान करना

स्थानीय पंचायत/लाभार्थियों के परामर्श से परियोजना को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें निरंतर आधार पर परियोजना को संभालने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। यह क्रियात्मक शोध परियोजना की सफलता के उपायों में से एक होगा।

परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीएस) का त्वरित विकास

भाग । – सामान्य जानकारी

1. परियोजना का शीर्षक:

2. लक्षित पीवीटीजी का नाम और परियोजना क्षेत्र का स्थान (राज्य और जिला):

3. संस्थान का नाम और पता:

4. संगठन/संस्था का प्रकार:

प्रकार	कृपया चिन्हित करें
अकादमी सस्थान	
अनुसंधान संगठन	
राज्य एस एंड टी परिषद	
स्वैच्छिक संगठन/एनजीओ	
पंचायती राज संस्थान (पीआरआई)	
कृषि विज्ञान केंद्र	
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

नोट: सहयोगात्मक प्रस्तावों को आम तौर पर प्रोत्साहित किया जाएगा

5. सहभागिता, यदि कोई हो:

क्र.संख्या	*सहभागियों का नाम और पता*	उद्देश्य
1.		

6परियोजना दल का विवरण (सभी अन्वेषकों का विवरण दिया जाना चाहिए)

i. प्रधान अन्वेषक	
नाम	
जन्म की तारीख	
उच्चतम योग्यता	

पदनाम	
विभाग	
संस्थान / विश्वविद्यालय	
पूरा पता पिन कोड के साथ	
टेलीफोन और फैक्स नंबर	
मोबाइल नंबर	
ईमेल	
ii. सह अन्वेषक	
नाम	
जन्म की तारीख	
उच्चतम योग्यता	
पद	
विभाग	
संस्थान / विश्वविद्यालय	
पूरा पता पिन कोड के साथ	
टेलीफोन और फैक्स नंबर	
मोबाइल नंबर	
ईमेल	

7. क्या आपके संगठन को पूर्व में (5 वर्ष तक) डीएसटी परियोजनाओं या अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार या विदेशी फंडिंग एजेंसियों द्वारा स्वीकृत किया गया है? हां/नहीं। यदि हां, तो नीचे दिए अनुसार विवरण दें

(i) पिछले 5 वर्षों के दौरान अन्वेषक (अन्वेषकों) की चालू/पूर्ण परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम और संदर्भ संख्या	फंडिंग एजेंसी / प्रभाग	लागत एवं अवधि	स्तर

(ii) पिछले 5 वर्षों के दौरान संस्थान की चालू/पूर्ण परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम और संदर्भ संख्या	फंडिंग एजेंसी / प्रभाग	लागत एवं अवधि	स्तर

8. क्या, आपका संगठन सीड, डीएसटी से मुख्य सहायता प्राप्त कर रहा है? हाँ/ नहीं। यदि हां, तो इंगित करें कि क्या वर्तमान प्रस्ताव की गतिविधियां सीड, डीएसटी द्वारा आपके संगठन को प्रदान की गई मुख्य सहायता की अनुमोदित गतिविधियों के तहत शामिल हैं? कृपया मुख्य सहायता के तहत अनुमोदित गतिविधियों की एक सूची भी दें।

क्र. सं.	उद्देश्य (सभी उद्देश्यों का उल्लेख करें)

(नोट: कोर सहायित समूहों को कोर के तहत अनुमोदित गतिविधियों के दोहराव से बचना सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि, अभिनव हस्तक्षेपों की पहचान की गई मुख्य गतिविधि के लिए एक नए प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित हस्तक्षेप/उद्देश्यों पर विचार किया जा सकता है)।

9. क्या परियोजना गतिविधियों के लिए किसी पर्यावरणीय/कानूनी/नैतिक मुद्दों के संबंध में प्रासंगिक प्राधिकरणों से किसी मंजूरी की आवश्यकता है? हां/नहीं

10. अवधि (माह):

11. कुल लागत (रुपए में):
(क) आवर्ती लागत (रुपये में):
(ख) गैर-आवर्ती लागत (रुपये में):

12. एनजीओ दर्पण आईडी (एनजीओ/ निजी शैक्षणिक संस्थानों के मामले में) और पीएफएमएस में विशिष्ट कोड:

भाग ॥ - परियोजना का तकनीकी विवरण

1. परियोजना का शीर्षक:

2. लक्षित लाभार्थियों का विवरण (अनुबंध-I में दिए गए विवरण के अनुरूप होना चाहिए)

क्रम सं.	पीवीटीजी का नाम	राज्य	ज़िला	ब्लॉक	गॉव	लाभार्थियों की संख्या

3. परियोजना क्षेत्र की रूपरेखा:

(क) भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु, भूमि उपयोग पैटर्न और फसल पैटर्न, प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे माल की उपलब्धता (परियोजना गत बेहतरकारी उपाय से संबंधित) का विवरण दें।

(ख) जनसांख्यिकीय विवरण और सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा (लक्षित लाभार्थियों का प्रकार, लक्ष्य समूह (समूहों) का कुल विस्तार), परियोजना क्षेत्र में कुल जनसंख्या संबंधी पीवीटीजी का प्रतिशत, सामाजिक परिस्थितियों का विवरण, लक्षित लाभार्थियों के वर्तमान व्यवसाय, वर्तमान औसत वार्षिक आय, मूलभूत सुख-साधन और सुविधाओं आदि की उपलब्धता)

(ग) स्वदेशी ज्ञान (आईके)/पारंपरिक ज्ञान (टीके), कौशल और प्राचलन पद्धति और चिह्नित समस्याएं (सामुदायिक ज्ञान और आईके कौशल/टीके कौशल की उपलब्धता, लक्षित जनता की कला, शिल्प आदि सहित मौजूदा विशेष कौशल/व्यापारों का विवरण)

(घ) स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास आदि) संबंधी विवरण

4. समस्या का विवरण और प्रौद्योगिकी अंतराल:

(क) लक्षित पीवीटीजी की मुख्य समस्या बताएं जिसका आप समाधान करना चाहते हैं (चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों हेतु आह्वान दस्तावेज़ देखें)

(ख) मौजूदा एसटीआई अंतराल क्या हैं और आपको इसके बारे में कैसे पता चला?

(ग) पहचाने गए अंतराल को पाटना क्यों महत्वपूर्ण है?

5. स्थिति/पूर्ववर्ती कार्यों और/या पहलों की समीक्षा (क्या आप इस समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित किसी अन्य पहल से अवगत हैं? उसके परिणाम क्या थे?)

6. सुझाए गए एसटीआई उपाय:

(यह वर्णन दें कि प्रस्ताव, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सही संकल्पना के आधार पर और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं और संसाधनों की स्थानीय उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नवीन और प्रभावी उत्पाद/सेवा कैसे प्रस्तुत करेगा)

(क) अपनी उद्भावना या उत्पाद/सेवा की रूपरेखा तैयार करें जिसे आप विकसित करने की योजना बना रहे हैं:

(ख) प्रस्तावित बेहतरकारी उपाय की प्रकृति:

प्रौद्योगिकी विकास (नई तकनीक, नवोत्पाद/प्रक्रिया)	
अनुकूली अनुसंधान एवं विकास (स्थान विशिष्ट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास जिसमें प्रौद्योगिकी संशोधन/मॉड्यूलेशन/अनुकूलन, इष्टतमीकरण मौजूदा प्रणालियों का अग्र/अवनयन, प्रौद्योगिकी अनुकूलन/अंगीकरण शामिल है)	
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (प्रौद्योगिकी का क्षेत्र परीक्षण, प्रदर्शन और हस्तांतरण)	
प्रौद्योगिकी प्रसार (सफल मॉडलों की प्रतिकृति, चिह्नित समस्या हेतु नवीन और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का परिनियोजन)	
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

(कृपया सभी संगत श्रेणियों पर सही का निशान लगाएं)

(ग) प्रस्तावित एसटीआई उत्पाद/सेवा/बेहतरकारी साधन के स्रोत:

स्रोत	एजेंसी/संस्था/व्यक्ति का नाम
कर्मचारियों द्वारा अंत: प्रतिष्ठान निर्मित	
बाह्य विशेषज्ञों को नियुक्त करके अंत: प्रतिष्ठान निर्मित	
किसी बाह्य संस्थान/विशेषज्ञ से मांगा गया	
लाभार्थियों द्वारा उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी में संशोधन	
कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):	

(घ) पूर्ववर्ती कार्यों के संदर्भ में परियोजना के महत्व का उल्लेख करें और वर्तमान परियोजना चिह्नित समस्या और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं हेतु बेहतर और टिकाऊ एसटीआई उत्पाद/सेवा कैसे प्रदान करेगी

7. उद्देश्य (सुपरिभाषित, 3-4 उद्देश्यों तक सीमित और चिह्नित समस्याओं के अनुरूप होना चाहिए)

8. क्रिया-पद्धति और कार्य योजना:

(क) उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाले स्पष्टत: परिभाषित चरणों की क्रिया-पद्धति अनुक्रम में बताएं (व्यक्त करें कि परियोजना आजीविका / आर्थिक अवसरों को कैसे बढ़ाएगी और सतत ढंग से चुनौतियों का समाधान करेगी)। यह भी वर्णन करें कि कैसे, और किस तरह से, परियोजना लाभार्थियों के ज्ञान और एसटीआई क्षमता निर्माण की उन्नति में योगदान देगी। परिभाषित चरणों /प्रासंगिक प्रक्रिया विवरणों जैसे प्रवाह चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण क्रियाविधि, नवाचार, इंजीनियरिंग डिजाइन / संक्षिप्त/ खाका योजना आदि) के द्वारा पुष्टि करें ।

(ख) सारणीबद्ध रूप में समय सीमा और व्युत्पादों सहित चरणवार कार्य योजना

क्रम सं.	घटक / कार्य तत्व	अपेक्षित प्रारंभ (महीना/वर्ष)	अपेक्षित समाप्ति (महीना/वर्ष)	व्युत्पाद
1.				

9. परियोजना में पीवीटीजी की भागीदारी के लिए विवरण/तंत्र (कृपया बताएं कि परियोजना कार्य में लाभार्थियों का जुटाव और भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी)

10. परियोजना के विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक/अभिनवता/नवीनता।

11. व्युत्पाद और लाभ

(क) परियोजना के अपेक्षित व्युत्पाद (स्पष्टत: 5-6 व्युत्पाद)

(ख) लक्षित समूह/जनसंख्या को अपेक्षित लाभ (स्पष्टत: 5-6 लाभ)

12. लक्षित लाभार्थियों की आजीविका प्रणाली में परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दें

13. परियोजना की स्व प्रतिपालनीयता

(क) सीड प्रभाग का परियोजना समर्थन समाप्त होने के बाद निर्गम योजना

(ख) समान क्षेत्रों में परियोजना की आवृति की संभावना (प्रस्तावित तकनीकी उत्पाद/सेवा के प्रमाणित होने के बाद, इसका कैसे सहायता- बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए राज्य सरकार को शामिल करके अथवा बाजार या किसी अन्य माध्यम से - कोई भी उद्यमी या व्यवसायिक व्यक्ति किसी भी तरह से शामिल हो सकता है?):

14. निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था (कृपया परियोजना प्रस्तावित उपायों की सफलता का

आकलन करने हेतु आउटपुट-आउटकम आधारित निगरानी के अस्थायी संकेतक दें)

टिप्पणी: (क) डीएसटी द्वारा आउटपुट-आउटकम आधारित निगरानी के लिए विकसित अनंतिम संकेतक अनुलग्नक-VII में संलग्न हैं।

(ख) आप परियोजना/प्रस्तावित उपायों की सफलता के लिए अपने द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले कोई अन्य संकेतक भी दे सकते हैं।

क्रम सं.	***संकेतक***	अपेक्षित उत्पादन	प्रमाणित परिणाम
1.			

15. बजट सारांश (रुपये में):

आवर्ती लागत (रुपये में):

गैर-आवर्ती लागत (रुपये में):

क्रम सं.	मद संख्या	बजट (रूपये में)			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
क.	आवर्ती				
1.	मानवशिक्त				
2.	उपभोज्य वस्तुएँ				
3.	यात्रा				
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रम				
5.	अन्य लागतें				
6.	आकस्मिक व्यय				
7.	उपरिव्यय				
	कुल (क)				
ख.	गैर-आवर्ती				
1.	उपस्कर				
2.	गठन लागत				
3.	* निर्माण लागत				
	कुल (ख)				
	कुल योग (क+ख)				

* निर्माणाधीन लागत का बजट केवल सामान्य सुविधा केंद्र जैसी कम लागत वाली संरचनाओं के लिए है न कि नए भवनों या संरचनाओं के निर्माण हेतु। इस तरह के अनुदान का अनुमोदन डीएसटी के विवेक पर और मौजूदा जीएफआर मानदंडों पर आधारित है।

भाग ///: बजट

बजट प्राक्कलन - सारांश *

(डीएसटी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार विभिन्न शीर्षों के तहत बजट संस्वीकृत किया जाएगा)

क्रम सं.	मद सं.	बजट			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
क	आवर्ती				
1	श्रमशक्ति				
2	उपभोज्य वस्तुएँ				
3	यात्रा				
4	प्रशिक्षण कार्यक्रम				
5	अन्य लागतें				
6	डीएसटी द्वारा समीक्षा बैठक				
7	आकस्मिक व्यय				
8	संस्थागत उपरिव्यय				
ख	गैर-आवर्ती				
1	स्थायी उपस्कर				
2	उपस्कर का निर्माण				
3	निर्माण लागत				
कुल					

* विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग के मामले में, सहयोगकारी संस्थानों/वैज्ञानिकों से औपचारिक करार सहित अलग बजट अपेक्षाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित विवरणानुसार सभी बजट शीर्षों हेतु विस्तृत औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता है।

क. आवर्ती

1. मानवशक्ति आवर्ती बजट

क्रम संख्या	पदनाम	बजट(रूपये)			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.					
कुल					

(किसी परियोजना के लिए भर्ती कर्मचारियों को डीएसटी के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। प्रत्येक परियोजना कर्मचारी के कार्य आबंटन/प्रकार्य औचित्य दिया जाना चाहिए। कृपया डीएसटी वेबसाइट पर उपलब्ध परियोजना कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की वेतन संरचना के बारे में विभिन्न का. ज्ञा. देखें)

2. उपभोग्य वस्तु बजट

क्रम सं.	उपभोग्य वस्तु	बजट(रूपये)			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.					
कुल					

(उपभोग्य वस्तु का विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए)

3. यात्रा के लिए बजट

क्रम सं.	लक्ष्य	बजट			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.	परियोजना संभार-तंत्र				
2.	क्षेत्र गतिविधियां				
3.	विशेषज्ञों द्वारा मौके पर समीक्षा बैठकें				
कुल					

(एक वर्ष में दो बैठकों के लिए प्रस्तावित किए जाने वाले अस्थायी बजट में 4-6 विशेषज्ञों की यात्रा लागत, आवास और स्थानीय क्षेत्र यात्राओं को समावेशित किया जाना चाहिए)

4. प्रशिक्षण बजट

क्रम सं.	प्रशिक्षण /जागरूकता का विवरण	बजट			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.					
कुल					

5. अन्य लागत बजट

क्रम सं.	मद	बजट			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.					
कुल					

(इस शीर्ष में प्रौद्योगिकी परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण, परिनियोजन, पेटेंट आदि की लागत शामिल होगी)

6. आकस्मिकता बजट

क्रम सं.	मद	बजट			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.					
कुल					

(अप्रत्याशित लागत के लिए होना चाहिए)

7. उपरिव्यय शीर्ष बजट

क्रम सं.	मद	बजट			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.					
कुल					

ख. गैर-आवर्ती उपस्कारों

स्थायी उपकरणों/संरचनाओं के लिए बजट

क्रम सं.	मद	बजट			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.	उपस्कर				
2.	निर्माण लागत				
3.	* निर्माण लागत				
कुल					

उपस्कारों की प्रत्येक मद के लिए विस्तृत औचित्य दिया जाना चाहिए

निर्माण और निर्माण लागत के लिए सामग्री/ अनुमान का बिल प्रदान किया जाना चाहिए

*निर्माणाधीन बजट लागत केवल कम लागत वाली संरचनाओं जैसे सामान्य सुविधा केन्द्र और/अथवा मौजूदा स्थान के नवीकरण या पुनर्सज्जा के लिए है, न कि नए भवनों या संरचनाओं के निर्माण के लिए। इस तरह के अनुदान का अनुमोदन डीएसटी के विवेकाधिकार पर और मौजूदा जीएफआर मानदंडों पर आधारित है।

भाग IV: कार्यान्वयन संस्थान का विवरण

1. कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसियों) का विवरण

(स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों के मामले में, कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र/न्यास डीड, उप-नियमों और अधिकार सहित संगम ज्ञापन, विगत तीन वर्षों के लेखा परीक्षित विवरण, विगत तीन वर्षों की गतिविधि रूपरेखा सहित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न करें।)

1. संगठन का प्रकार:

प्रकार	कार्यान्वयन संगठन	सहयोगी
अकादमिक संस्थान		
अनुसंधान संगठन		
एस एंड टी परिषद		
स्वैच्छिक संगठन		
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		

2. प्रस्तावित जांच समूह/संस्थान में परियोजना कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध विशेषज्ञता (एक पृष्ठ से कम में संक्षिप्तत: वर्णन करें)

3. उपलब्ध अवसंरचना: भूमि/भवन (उपस्कर सहित) ।

4. क्या संगठन पीएफएमएस के तहत ईएटी मॉड्यूल लागू कर रहा है?

<u>अनुलग्नक - //</u>

संस्थान प्रमुख का अनुमोदन

(पत्र शीर्ष पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रस्ताव का नाम "परियोजना का नाम" से जाना जाएगा

1. वित्तीय सहायता के लिए किसी अन्य एजेंसी/एजेंसियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है
2. प्रस्तावित वेतनमान, भत्ता आदि वह हैं जो संस्थान/विश्वविद्यालय/एनजीओ/स्वैच्छिक संगठन में कार्यरत संबंधित समकक्ष व्यक्तियों हेतु स्वीकार्य हैं, और डीएसटी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं
3. इस बात पर सहमति है कि परियोजना से निष्पादन अविष्कार (रों) से संबंधित कोई शोध परिणाम या अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुमोदन से जारी निर्देशों के अनुसार होंगे।
4. संस्थान परियोजना के प्रधान अन्वेषक के रूप में डॉ/श्री/श्रीमती/कु. ..... का और सह-अन्वेषक के रूप में डॉ/श्री/श्रीमती/किमी .....…… का स्वागत उनकी भागीदारियों के लिए करता है और प्रधान अन्वेषक द्वारा अप्रत्याशित कार्यविच्छेद की स्थिति में, सह-अन्वेषक परियोजना की सफल पूर्णता (डीएसटी को उपयुक्तत: सूचित करते हुए) का दायित्व ग्रहण करेगा।
5. यदि प्रधान अन्वेषक (पीआई) संस्थान छोड़ देता है तो सह-अन्वेषक, परियोजना संचालन हेतु अन्वेषक का प्रभार डीएसटी के पूर्व अनुमोदन से ग्रहण करेगा।
6. प्रस्तावित उपस्कर मेजबान संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है।

संस्थान/विश्वविद्यालय के
कार्यकारी प्राधिकारी के हस्ताक्षर और
मोहर तथा दिनांक

1. स्थान और दिनांक सहित प्रधान-अन्वेषक के हस्ताक्षर

2. स्थान और दिनांक सहित सह अन्वेषक के हस्ताक्षर

जांचकर्ताओं से प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

1. हम डीएसटी अनुदान के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
2. हमने वित्तीय सहायता के लिए कहीं और इसे या इसी तरह के परियोजना प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया।
3. हमने यह पता लगाया है और सुनिश्चित किया है कि परियोजना प्रयोजनार्थ आवश्यकता पड़ने पर उपस्कर और बुनियादी सुविधाएं वास्तव में उपलब्ध होंगी। हमें इस परियोजना के तहत इन मदों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।
4. हम यह वचन देते हैं कि स्थायी उपस्कर पर अतिरिक्त समय में अन्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
5. मेजबान संस्थान के पास प्रस्तावित उपस्कर उपलब्ध नहीं है
6. यदि प्रधान अन्वेषक (पीआई) संस्थान छोड़ देता है तो सह-अन्वेषक, डीएसटी के पूर्व अनुमोदन से परियोजना संचालन हेतु अन्वेषक का प्रभार ग्रहण करेगा।
7. हम समझते हैं कि प्रधान अन्वेषक/सह-अन्वेषक द्वारा संस्थान में परिवर्तन के कारण स्वीकृत परियोजना को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में अंतरित करने की अनुमति नहीं है और प्रधान अन्वेषक द्वारा मेजबान संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुति के अध्यधीन डीएसटी के पूर्ण विवेकाधिकार पर है।

हमने निम्नलिखित सामग्री संलग्न की है।

विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र (सभी अनुलग्नकों सहित) - ऑनलाइन	
वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र/न्यास डीड, उपनियमों के साथ एमओए, विगत 3 वर्षों की संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खाते (केवल गैर सरकारी संगठनों के लिए)	
सहायता पत्र और एस एंड टी संस्थानों के साथ टाई अप - एनजीओ के लिए अनिवार्य	
संस्थान के प्रमुख से पृष्ठांकन और जांचकर्ताओं से प्रमाण पत्र (मूल)	

1. प्रधान-अन्वेषक के हस्ताक्षर और स्थान
2. सह-अन्वेषक के हस्ताक्षर, स्थान और दिनांक

<u>अनुलग्नक-*IV*</u>

प्रधान अन्वेषक का जीवनवृत्त

क. नाम:

ख. जन्मतिथि

ग. संस्थान

घ. अनु.जाति/अनु.ज.जाति के हैं अथवा नहीं

इ. अकादमिक और पेशेवर कैरियर:

(विषय और विशेषज्ञता के क्षेत्र को इंगित करते हुए स्नातक स्तर से उच्चतम योग्यता स्तर तक - उच्चतम योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें):

पेशेवर करियर:

च. अन्वेषक द्वारा जीता गया पुरस्कार/इनाम/प्रमाण पत्र आदि:

छ. प्रकाशन (केवल संख्या)

कागजात, पुस्तकों, सामान्य लेख, पेटेंट का विवरण यदि कोई हो
ज. पूर्ण/चालू और प्रस्तुत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम और संदर्भ सं.	वित्तपोषण एजेंसी/प्रभाग	लागत और अवधि	स्थिति

<u>अनुलग्नक-*V*</u>

सह अन्वेषक (अन्वेषकों) का जीवनवृत्त - सभी सह जांचकर्ताओं के लिए प्रस्तुत किया जाना है

क. नाम:

ख. जन्मतिथि

ग. संस्थान

घ. अनु.जाति/अनु.ज.जाति के हैं अथवा नहीं

ड़. अकादमिक और पेशेवर कैरियर:

(विषय और विशेषज्ञता के क्षेत्र को इंगित करते हुए स्नातक स्तर से उच्चतम योग्यता स्तर तक - उच्चतम योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें):

पेशेवर करियर:

च. अन्वेषक द्वारा जीता गया पुरस्कार/इनाम/प्रमाण पत्र आदि:

छ. प्रकाशन (केवल संख्या)

कागजात, पुस्तकों, सामान्य लेख, पेटेंट का विवरण यदि कोई हो

ज. पूर्ण/चालू और प्रस्तुत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम और संदर्भ सं.	वित्तपोषण एजेंसी/प्रभाग	लागत और अवधि	स्थिति

हित विरोध विषयक नीति

(समीक्षक और समिति के सदस्य अथवा आवेदक अथवा डीएसटी की योजना / कार्यक्रम से संलग्न या संबंधित डीएसटी अधिकारी हेतु)

वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन में हित और नैतिकता के विरोध के मुद्दों ने देश के अनुसंधान और विकास परिदृश्य में सरकारी वित्त पोषण के बड़े हिस्से को देखते हुए अधिक प्रमुखता प्राप्त की है। हित विरोध और आचार संहिता के सामान्य पहलुओं से संबंधित निम्नलिखित नीति वस्तुनिष्ठ उपाय हैं जिनका उद्देश्य निर्णयन प्रक्रियाओं की समग्रता की रक्षा करना और पूर्वाग्रहों को कम करना है। इस नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना, वित्त पोषण तंत्र में उत्तरदायित्व बढ़ाना और आम जनता को यह आश्वासन देना है कि अनुदान देने में अपनाई गई प्रक्रियाएं निष्पक्ष और भेदभाव रहित हैं। इस नीति का उद्देश्य ऐसी प्रणाली का अनुसरण करके सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से बचना है जो उचित, पारदर्शी और कार्यक्रम के प्रचलन से पहले, दौरान और के बाद सभी प्रकार के प्रभावों/पूर्वाग्रहरहित व्यवहार से मुक्त हो, ताकि जनता को रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट आचरण से बचने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें यह आश्वासन दिया जा सके कि उनके प्रतिद्वंद्वी भी रिश्वत देने और भ्रष्ट आचरण से परहेज करेंगे और निर्णयकर्ता पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इससे डीएसटी द्वारा अपनाई गई निर्णयन प्रक्रिया की वैश्विक स्वीकृति भी सुनिश्चित होगी।

<u>हित विरोध की परिभाषा:</u> हित विरोध का अर्थ है "कोई भी हित जो निर्णयन प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे व्यक्ति या उस संगठन के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धी लाभ पैदा हो सकता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है"। हितों के विरोध में ऐसी परिस्थितियां भी शामिल हैं जहां कोई व्यक्ति स्वीकृत मानदंडों और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए, व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अनिवार्य कर्तव्यों का दुरूपयोग कर सकता है।

<u>नीति की समावेशिता:</u> डीएसटी के लिए आवेदन करने वाले और धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, प्रस्ताव के समीक्षकों और विशेषज्ञ समितियों और कार्यक्रम सलाहकार समितियों के सदस्यों द्वारा नीति के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। नीति के प्रावधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रस्तावों के मूल्यांकन और बाद में निर्णयन प्रक्रिया में शामिल मध्यवर्तियों

और समितियों के माध्यम से जुड़े डीएसटी के अधिकारियों सहित सभी व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।

इस नीति का उद्देश्य उन मामलों को कम करना है जिनमें डीएसटी द्वारा इस समय संचालित किए जा रहे वित्त पोषण तंत्र में वास्तविक हित विरोध, स्पष्ट हित विरोध और हितों के संभावित विरोध शामिल हो सकते हैं। पॉलिसी का उद्देश्य ऐसे हित विरोध को व्यापक बनाना है, हालांकि इसी तक यह सीमित नहीं है, जो वित्तीय (प्रस्ताव या पुरस्कार के परिणामों से लाभ), व्यक्तिगत (रिश्तेदार/ परिजनों का संघ), और संस्थागत (सहकर्मी, सहयोगी, नियोक्ता, पीएचडी पर्यवेक्षक, जैसे किसी व्यक्ति के पेशेवर कैरियर में जुड़े व्यक्ति आदि) हैं।

2. <u>हित विरोध के संघटक विषयक विनिर्देशन</u>: निम्नलिखित विनिर्देशनों में से कोई भी (गैर-संपूर्ण सूची) हित विरोध का संकेत देता है यदि,

(क) किसी भी कारण से जिसकी वजह से समीक्षक/समिति सदस्य प्रस्ताव का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं।

(ख) आवेदक प्रत्यक्ष रिश्तेदार # या परिवार का सदस्य है (जिसमें पति या पत्नी, बच्चे, भाई-बहन या माता-पिता तक सीमित नहीं है) या निर्णयन प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति का व्यक्तिगत मित्र है या विकल्पत: यदि किसी अधिकारी का कोई रिश्तेदार सीधे किसी भी निर्णयन प्रक्रिया से जुड़ा हो/प्रभावित हित हो/ आवेदक के रूप में हिस्सेदारी को प्रभावित करता हो, आदि।

(ग) पुरस्कार के लिए आवेदक समीक्षक या समिति के सदस्य के रूप में प्रक्रिया में शामिल किसी व्यक्ति का कर्मचारी या नियोक्ता है; या यदि अनुदान / पुरस्कार के आवेदक का उस व्यक्ति के साथ पिछले तीन वर्षों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध रहा है।

(घ) अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक उसी विभाग से संबंधित है जिससे समीक्षक/समिति सदस्य जुड़े हैं।

(ङ) समीक्षक/समिति सदस्य संगठन का प्रमुख होता है जहां आवेदक कार्यरत होता है।

(च) समिति सदस्य आवेदक के पेशेवर कैरियर (जैसे पीएचडी पर्यवेक्षक, संरक्षक, वर्तमान सहयोगी, आदि) से जुड़ा हुआ है या था।

(छ) समीक्षक/समिति सदस्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने में शामिल होता है।

(ज) आवेदक के गत तीन वर्षों में समीक्षक / समिति के सदस्य के साथ संयुक्त अनुसंधान प्रकाशन हैं।

(झ) आवेदक/समीक्षक/समिति के सदस्य, वैज्ञानिक अनुसंधान में अपनाए गए स्वीकृत मानदंडों और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए प्रस्ताव के परिणामों में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वित्तीय हित रखते हैं।

(ञ) समीक्षक/समिति के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा यदि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए "सापेक्ष" शब्द को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संदर्भित किया जाएगा।

3. विनियमन: डीएसटी अधिकतम संभावित सीमा तक अपने वित्त पोषण तंत्र में हित संघर्ष से बचने का प्रयास करेगा। तथापि, हित संघर्ष और वैज्ञानिक नैतिकता से संबंधित मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन में शामिल स्टेकहोल्डरों हेतु स्व-विनियामक मोड की सिफारिश की जाती है। इससे संबंधित कोई भी प्रकटीकरण आवेदक/समीक्षक/समिति के सदस्य द्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए।

4. गोपनीयता: समीक्षक और समिति के सदस्य प्रक्रिया के दौरान की गई सभी चर्चाओं और निर्णयों की गोपनीयता की रक्षा करेंगे और किसी भी आवेदक या तीसरे पक्ष के साथ चर्चा करने से बचेंगे, जब तक कि समिति अन्यथा सिफारिश न करे और ऐसा करने के लिए रिकॉर्ड न करे।

5. आचार संहिता

5.1 जिसे समीक्षकों/समिति के सदस्यों द्वारा अनुपालित किया जाना है:

(क) सभी समीक्षक हित संघर्ष के किसी भी रूप की उपस्थिति या अनुपस्थिति की घोषणा करते हुए हित संघर्ष का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(ख) समीक्षक प्रस्तावों का मूल्यांकन करने से परहेज करेंगे यदि हित संघर्ष तय होता है या यदि यह स्पष्ट है।

(ग) हित संघर्ष से संबंधित सभी विचार-विमर्श और निर्णय बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किए जाएंगे।

(घ) समिति के अध्यक्ष हित संघर्ष से संबंधित सभी पहलुओं पर निर्णय लेंगे।

(ङ) समिति के अध् यक्ष अनुरोध करेंगे कि सभी सदस् य यह बताएं कि चर्चा के लिए निर्धारित कार्यसूची के मदों में कोई हित संघर्ष है या नहीं।

(च) समिति के सदस्य निर्णयन प्रक्रिया में भाग लेने से परहेज करेंगे और उस विशिष्ट मद के संबंध में कमरा छोड़ देंगे जहां हित संघर्ष स्थापित या स्पष्ट है।

(छ) यदि अध्यक्ष स्वयं हित संघर्ष करता है, तो समिति शेष सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चयन कर सकती है, और निर्णय समिति के सदस्य सचिव के परामर्श से किया जाएगा।

(ज) यह आशा की जाती है कि अध्यक्ष सहित समिति का सदस्य उस समिति से वित्त पोषण की मांग नहीं करेगा जिसमें वह सदस्य है। यदि कोई सदस्य अनुदान के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन उस समिति के बाहर अलग से किया जाएगा जिसमें वह सदस्य है।

5.2 अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक द्वारा अनुपालनार्थ:

(क) आवेदक को संभावित हित संघर्ष वाले निर्णायक सुझाव देने से बचना चाहिए जो बिंदु संख्या 2 में ऊपर वर्णित विनिर्देशों में उल्लिखित कारकों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।

(ख) आवेदक उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख कर सकता है जिन्हें प्रस्तुत प्रस्ताव निर्णयन हेतु, इसका कारण स्पष्टत: इंगित करते हुए, नहीं भेजा जाना चाहिए।

5.3 डीएसटी में कार्यक्रम संबंधी अधिकारियों द्वारा अनुपालित किए जाने हेतु:

कार्यक्रम अधिकारियों के लिए उपरोक्त बिंदु संख्या 6 में विस्तृत गोपनीयता बनाए रखना हालांकि अनिवार्य है, उन्हें अग्रिमत: घोषणा करनी चाहिए, यदि वे किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य (पति या पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता सहित) या थीसिस/ पोस्ट-डॉक्टरेट संरक्षक के अनुदान आवेदनों पर कार्यरत हैं अथवा यदि आवेदक प्रस्ताव को वित्त पोषित करता है तो आर्थिक रूप से लाभान्वित होने के लिए तैयार है। ऐसे मामलों में, डीएसटी अनुदान आवेदनों को अन्य कार्यक्रम अधिकारी को आवंटित करेगा।

6. उल्लंघन संबंधी स्वीकृति

6.1 क) समीक्षक/समिति सदस्य और ख) आवेदक: आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन समिति द्वारा तय की गई कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

6.2 डीएसटी में कार्यक्रम विषयक अधिकारियों हेतु: आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर सीसीएस (आचरण नियम), 1964 के वर्तमान प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।

7. अंतिम अपीलीय प्राधिकारी: सचिव, डीएसटी हित संघर्ष और निर्णयन प्रक्रिया संबंधी मुद्दों के अपीलीय प्राधिकारी होंगे। इन मुद्दों पर डीएसटी सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. उद्घोषणा

मैंने समीक्षक/समिति सदस्य/आवेदक/डीएसटी योजना या कार्यक्रम अधिकारी # पर लागू डीएसटी की उपरोक्त "हित संघर्ष नीति" पढ़ ली है और उसके प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मुझे प्रस्तावित अनुदान संबंधी किसी भी रूप से हित संघर्ष है*

* और # (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

समिति के सदस्य या आवेदक या डीएसटी अधिकारी का नाम
(जो भी लागू नहीं है, उसे काट दें)

(तिथि सहित हस्ताक्षर)

निष्कर्ष और परिणामों की निगरानी हेतु संभावित संकेतक
(संकेतक अस्थायी हैं, केवल आपकी परियोजना से संबंधित संकेतकों का चयन किया जा सकता है, सभी संकेतकों का प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है)

(क) परिणाम संकेतक (परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान अपेक्षित)

क्र.सं.	संकेतक	संख्या
1	विकसित की जाने वाली नई प्रौद्योगिकियां/तकनीकें/उपकरण/प्रक्रियाएं	
2	परिनियोजित की जाने वाली प्रौद्योगिकियां/ तकनीक / उपकरण (वर्तमान प्रौद्योगिकियां)	
3	संशोधित और परिनियोजित की जाने वाली प्रौद्योगिकियां (अनुकूली अनुसंधान एवं विकास)	
4	क्षेत्र परीक्षित की जाने वाली प्रौद्योगिकियां (नई और संशोधित प्रौद्योगिकियां)	
5	स्थानांतरित की जा सकने वाली प्रौद्योगिकियां	
6	प्रौद्योगिकियां जिनका व्यावसायीकरण किया जा सकता है	
7	तैयार की जा सकने वाली रिपोर्ट/मैनुअल	
8	पेटेंट (प्रस्तुत/प्रदत्त) यदि कोई हो [तैयार किए जाने के लिए प्रत्याशित]	
9	प्रकाशित शोधपत्र, यदि कोई लोकप्रिय लेख, जागरूकता पत्रक, पैम्फलेट विकसित और प्रकाशित किए गए	
10	प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण के लिए उपलब्ध सरल कैमरों का उपयोग करके उत्पादित लघु अवधि उपयोगकर्ता के अनुकूल वीडियो/फोटो	
11	परियोजना के तहत समाविष्ट लाभार्थी (लिंग-वार प्रतिशत के साथ संख्या: जिलावार, आयु समूहवार)	
12	परियोजना के तहत गठित किए जाने वाले नए एसएचजी/सीआईजी/टीएजी और सभी महिला एसएचजी की संख्या कितन है	
13	परियोजना के तहत सुदृढ़ किए जाने वाले मौजूदा एसएचजी/सीआईजी/टीएजी	
14	परियोजना हस्तक्षेप हेतु समाविरष्ट कृषि भूमि	
15	परियोजना के तहत गठित एफपीओ	
16	जागरूकता, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम कई पुरुष और महिला प्रतिभागियों के साथ आयोजित किए गए	
19	प्रशिक्षित की जाने वाली मानवशक्ति - लिंग वार प्रतिशतता सहित कुल	
20	रोजगार दिए जाने वाले युवा- लिंग वार प्रतिशतता सहित कुल	

21	तैयार की जाने वाली साझा सुविधा, ग्राम सामुदायिक केंद्र/ग्रामीण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रूपांतरण एवं प्रसार केंद्र (नया या उन्नत)/स्थायी संरचनाएं/साझा संसाधन।	
22	सृजित की जाने वाली सुविधाओं का प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता लाभार्थी	
23	सृजित की जाने वाली सुविधाओं का अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगकर्ता लाभार्थी	
24	शामिल किए जाने वाले एचएच (परिवार)	

परिणाम संकेतक (परियोजना कार्यान्वयन अवधि के अंत तक अपेक्षित)

क्र.सं.	संकेतक	संख्या
1	स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक अभिगम (लाभान्वित कुल परिवारों और लागों की संख्या बताएं)	
2	स्वच्छ ऊर्जा तक अभिगम- खाना पकाने और बिजली सहित (लाभान्वित कुल परिवारों और लागों की संख्या बताएं)	
3	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं/बेहतर पोषण तक अभिगम (लाभान्वित कुल परिवारों और लागों की संख्या बताएं)	
4	अन्य अवसंरचनाओं- शौचालय / कम लागत वाले घर तक अभिगम (लाभान्वित कुल परिवारों और लागों की संख्या बताएं)	
5	वित्तीय संस्थानों तक पहुंच (परिवारों की संख्या बताएं)	
6	आजीविका विविधीकरण (कृषि और गैर-कृषि - विविध व्यवसायों को इंगित करते हैं)	
7	परियोजना अंत:क्षेपों के कारण घरेलु आय में वृद्धि (% बताएं)	
8	कई अन्य संगठनों, ग्रामीण संस्थानों, सहकारी समितियों, युवा क्लबों और प्रगतिशील क्षेत्रों, एफपीओ को परियोजना परिणामों (वैज्ञानिक क्षमता निर्माण) की प्रतिकृति के लिए प्रेरित और संगठित किया जाएगा।	
9	कृषि (फसल/पशुधन/कुक्कुट/मात्स्यिकी) उत्पादकता में वृद्धि	
10	संसाधनों (प्राकृतिक और /अथवा भौतिक) और परिसंपत्तियों की उपलब्धता में वृद्धि	
11	विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका/रोजगार के अवसरों में वृद्धि (क्षेत्रों/क्षेत्रों को सूचीबद्ध करें और उद्यमियों की संख्या दें)	
12	विकसित किए जाने वाले नए उद्यम (उपक्रमों का उल्लेख करें)	
13	कठिन परिश्रम में कमी (संक्षिप्त उपलब्धियां) - कठिन परिश्रम में कमी के लिए विकसित या उन्नत और अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकियों के नाम	

	और संख्या	
14	बाजार/उद्यमों से बेहतर संपर्क	
15	ग्रहणकर्ताओं की संख्या द्वारा इंगित नव विकसित प्रौद्योगिकियों/उत्पादों/प्रक्रियाओं को अधिग्रहण	
16	परियोजना उपलब्धियों की प्रतिकृति के लिए प्रेरित और संगठित संगठनों और उद्यमियों की संख्या	
19	सरकारी योजनाओं और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त किसी भी सब्सिडी से स्थापित संबंध	
20	सामुदायिक सशक्तिकरण (प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता समूह का गठन; बचत सह क्रेडिट समूह; स्वास्थ्य सुधार आदि)	
21	आजीविका प्रणाली, स्वदेशी संसाधनों और ज्ञान क्षमता तथा आकांक्षा का डेटाबेस / प्रलेखीकरण	